संख्या— /62—2—2012—2/3(98)/2009

प्रेषक,

संतोष कुमार द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग—2 लखनऊ : दिनांक : 27 अगस्त, 2012

विषय— वित्तीय वर्ष 2012—13 के अन्तर्गत अनुदान सं0—13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702—लघु सिंचाई—80—सामान्य—800—अन्य व्यय—03 लघु सिंचाई योजना में मद—14—मोटर गाड़ियों का कय में अवमुक्त धनराशि को व्यय किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् आपके पत्र संख्या—985/ल0सिं0/बजट—आयोजने0/2012—13, दिनांक 23.8.2012 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0—650/62—2—2012—2/3(14)/2012, दिनांक 04.4.2012 तथा शासनादेश सं0—2207/62—2— 2012—2/3(14)/2012, दिनांक 03.8.2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0—13 के अधीन "लेखा शीर्षक—2702—लघु सिंचाई—80—सामान्य—800—अन्य व्यय—03—लघु सिंचाई योजना में मद—14—मोटर गाड़ियों का कय चालू में प्राविधानित धनराशि योजनाओं हेतु अन्य व्यय (अधिष्ठान) की 14—कार्यालय प्रयोगार्थ मोटर गाड़ियों का कय मद में कुल अवमुक्त धनराशि रू0—18,64,000/— (रू0 अट्ठारह लाख चौसठ हजार मात्र) के सापेक्ष रू0—5,66,000.00 लाख (रूपया पॉच लाख छाछठ हजार मात्र) के व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति उपरोक्त शासनादेश दिनांक 04.4.2012 व 03.8.2012 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

2— रिप्लेसमेन्ट हेतु एक निष्प्रयोज्य अम्बेसडर कार के स्थान पर 01 नई अम्बेसडर कार का कय किया जायेगा।

3— तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के अन्तर्गत अनुदान संख्या—13 के अधीन "लेखा शीर्षक—2702—लघु सिंचाई—80—सामान्य—800—

अन्य व्यय–03–लघु सिंचाई योजना मद–14–मोटर गाड़ियों का क्रय मद के नामे डाला जायेगा।"

4– यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(संतोष कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या–2665 (1)/62–2–2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकादारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
4–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
5–निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्यमंत्री ।
6–एन0आई0सी0 की प्रति।
7–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।